

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 21/2015-2020

दिनांक: 6 सितम्बर, 2021

विषय: मलावी से पीजन पीज के आयात के लिए भारत गणराज्य की सरकार और मलावी गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के संबंध में।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत द्वारा 50,000 मीट्रिक टन तूर (पीजन पीज) के आयात के लिए भारत गणराज्य की सरकार और मलावी गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) संबंधी दिनांक 24 जून, 2021 की सार्वजनिक सूचना सं. 08/2015-20 की निरंतरता में, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा समझौता ज्ञापन के उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए प्रक्रिया/तौर तरीके निर्धारित करते हैं।

2. भारत गणराज्य की सरकार और मलावी गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, भारत आगामी पांच वित्तीय वर्ष अर्थात् 2021-22 से 2025-26 (अप्रैल से मार्च) के दौरान निजी व्यापार के माध्यम से आयात की जाने वाली मलावी उद्गम के तूर (पीजन पीज) का 50,000 मीट्रिक टन वार्षिक कोटा प्रदान करने हेतु सहमत हो गया है।

3. तदनुसार, राजकोषीय वर्ष 2021-22 के दौरान मलावी से आयात किए जाने वाले 50,000 मीट्रिक टन तूर (पीजन पीज) को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आयात की अनुमति दी जाती है:-

क. आयात केवल निम्नलिखित 5 पत्तनों के रास्ते अनुमत होगा: (i) मुम्बई (ii) तुतीकोरिन (iii) चेन्नई (iv) कोलकाता और (v) हजीरा।

(ख) आयात मलावी सरकार द्वारा दिए गए स्टॉप युक्त मलावी राजस्व प्राधिकारी के सीमाशुल्क और उत्पाद प्रभाग के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा प्रमाणित "उद्गम प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करने के अध्वधीन होगा, जिसे उपर्युक्त पत्तनों के संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारियों और सीबीआईसी के साथ साझा किया जा रहा है।

ग. उद्गम प्रमाण-पत्र प्रदान करते समय (जिसमें दालों के निर्यातक, आयातक और मात्रा का ब्यौरा शामिल है) नामित प्राधिकारी प्रमाणपत्र की एक स्कैन की हुई प्रति ई-मेल आईडी: policy2-dgft@gov.in को भेजेगा।

घ. यहां भारत में आयातक अपने आईईसी ब्योरों सहित यथोक्त जारी प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति उपर्युक्त ई-मेल पते पर ही अर्थात् policy2-dgft@gov.in पर अनापति प्रमाणपत्र के लिए डीजीएफटी को मेल भेजेगा। डीजीएफटी इन दोनों दस्तावेजों का मिलान करेगा और आवेदक आयातक को अनापति प्रमाणपत्र देगा जिसके आधार पर सीमाशुल्क विभाग खेप की निकासी करेगा।

4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: मलावी से 50,000 मीट्रिक टन तूर (पीजन पीज) के आयात हेतु प्रक्रिया/तौर तरीके को निर्धारित किया गया है।

अमित यादव
06/09/2021
(अमित यादव)

महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई-मेल: dgft@nic.in